

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक: प.2(1458)/सूप्रौ/संस्था/13/पार्ट-11/05243/2022
कार्यालय आदेश

जयपुर, दिनांक: 08-08-2022

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के श्री यश ताबियार, सूचना सहायक जिन्होंने दिनांक 01.01.2016 के पश्चात अपने पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है को वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेवल पर वेतन एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	मेरिट/रोल नं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण एवं स्थाईकरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	289234	श्री यश ताबियार	कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी परतापुर, जिला-बांसवाड़ा	31.01.2020 (मध्याह्न पश्चात)	12.05.2022 (कार्मिक के 101 दिवस के अवकाश को Dies Non (अकार्य दिवस) घोषित किये जाने के कारण इनके परिवीक्षाकाल में 101 दिवस की अभिवृद्धि की गयी, जो दिनांक 12.05.2022 को पूर्ण हुई)	13.05.2022

श्री यश ताबियार, सूचना सहायक का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं नियमितिकरण/स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार श्री यश ताबियार, सूचना सहायक की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

श्री यश ताबियार, सूचना सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व कार्यालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़ी जिला-बांसवाड़ा में कनिष्ठ सहायक के पद पर (परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा था) नियमित रूप से सेवारत रहे थे। अतः उक्त कार्मिक को परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार सेवा नियम के नियम 26 के अंतर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,

21

(सुनील छाबड़ा)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परतापुर, जिला-बांसवाड़ा।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
3. श्री यश ताबियार, सूचना सहायक, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी परतापुर, जिला-बांसवाड़ा।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी